ARTICLE

भारत में बड़ी चुनौती

भारत के विशाल परिदृश्य राजसी बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों की उपस्थिति से सुशोभित हैं, जिनमें से प्रत्येक शक्ति, अनुग्रह और देश की प्राकृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। घने जंगलों में घूमने वाले रॉयल बंगाल टाइगर से लेकर उच्च हिमालय में अपनी छाप छोड़ने वाले मायावी हिम तेंदुए तक, ये शीर्ष शिकारी न केवल भारत की जैव विविधता के प्रतीक हैं, बल्कि नाजुक पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षक भी हैं। उनकी सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए, भारत ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक दूरदर्शी पहल की शुरुआत की, जो बड़ी बिल्लियों और उनके आवासों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम था।

भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा तैयार भारतीय बाघ अभयारण्यों के लिए भारत में बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई), 2022 (पांचवें चक्र) रिपोर्ट में प्रगति और चुनौतियों की मिश्रित तस्वीर सामने आई है। चिंताएं उभर रही हैं क्योंकि भारत में जंगली बाघों की आबादी 2006 में केवल 1,400 से बढ़कर 3,167 हो गई है, जिससे इन संख्याओं को बनाए रखने के लिए देश की वन क्षमता के बारे में चर्चा शुरू हो गई है।

प्रोजेक्ट टाइगर क्या है?

- **के बारे में:**
- प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है।
- **उद्देश्य:**
- उन कारकों को कम करना जो बाघों के आवासों को ख़त्म करते हैं और उपयुक्त प्रबंधन द्वारा उन्हें कम करना।
- पारिस्थितिकी तंत्र की अधिकतम संभव सीमा तक पुनर्प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए निवास स्थान को हुए नुकसान को ठीक किया जाएगा।
- आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सौंदर्य और पारिस्थितिक मूल्यों के लिए व्यवहार्य बाघ आबादी सुनिश्चित करें।
- **प्रोजेक्ट टाइगर के क्या लाभ हैं?**
- **बाघ जनसंख्या पुनर्प्राप्ति:**
- प्रोजेक्ट टाइगर का एक प्राथमिक उद्देश्य बाघों की आबादी की घटती प्रवृत्ति को उलटना था।

- समर्पित संरक्षण प्रयासों के माध्यम से, परियोजना ने देश भर में नामित बाघ अभयारण्यों में बाघों की संख्या में सफलतापूर्वक वृद्धि की है।
- जनसंख्या में यह वृद्धि न केवल प्रजातियों को संरक्षित करती है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य में भी योगदान देती है।
- **पर्यावास संरक्षण:**
- प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के आवासों की सुरक्षा पर जोर देता है, जिसका पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- इन परिदृश्यों की सुरक्षा करके, परियोजना अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला को लाभ पहुंचाती है जो अस्तित्व के लिए इन आवासों पर निर्भर हैं।
- यह जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में योगदान देता है।
- **आर्थिक मूल्य और पर्यटन:**
- बाघ करिश्माई मेगाफ़ौना हैं जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बाघों की आबादी के संरक्षण में परियोजना की सफलता से पर्यावरण-पर्यटन में वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय समुदायों और देश के लिए राजस्व उत्पन्न हुआ है।
- यह आर्थिक लाभ स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करता है।
- **पारिस्थितिक संतुलन:**
- बाघ शीर्ष शिकारी हैं जो अपने पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- शिकार की आबादी को नियंत्रित करके, वे अत्यधिक चराई को रोकते हैं और शाकाहारी प्रजातियों के स्वास्थ्य का प्रबंधन करने में मदद करते हैं।
- इसके परिणामस्वरूप, वनस्पति और अन्य जानवरों की आबादी पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जो एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देता है।
- **प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण:**
- बाघों को प्रमुख प्रजाति माना जाता है, क्योंकि उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति उनके पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को नाटकीय रूप से प्रभावित कर सकती है।
- बाघों की रक्षा करके, प्रोजेक्ट टाइगर अप्रत्यक्ष रूप से कई अन्य प्रजातियों की रक्षा करता है जो खाद्य वेब के भीतर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
- यह पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है।
- **प्रोजेक्ट टाइगर की चुनौतियाँ क्या हैं?**

- **पर्यावास हानि और विखंडन:**
- तेजी से शहरीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और कृषि विस्तार के कारण निवास स्थान का नुकसान और विखंडन हुआ है।
- यह बाघों के रहने की जगह को कम करके उनके लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष:**
- जैसे-जैसे बाघों के निवास स्थान सिकुड़ रहे हैं और मानव आबादी का विस्तार हो रहा है, मानव-बाघ संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं।
- बाघ पशुधन या यहां तक कि मनुष्यों पर भी हमला कर सकते हैं, जिससे प्रतिशोध में हत्याएं हो सकती हैं और बाघ संरक्षण के बारे में नकारात्मक धारणाएं पैदा हो सकती हैं। स्थानीय समुदायों की जरूरतों और बाघ संरक्षण को संतुलित करना एक नाजुक चुनौती है।
- **अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार:**
- संरक्षण प्रयासों के बावजूद, अवैध शिकार एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। पारंपरिक चिकित्सा और अवैध व्यापार के कारण बाघ के शरीर के अंगों की मांग, इस प्रजाति के लिए खतरा बनी हुई है।
- इस अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए शिकारियों और तस्करों के खिलाफ प्रभावी प्रवर्तन आवश्यक है।
- **पर्यावासों के बीच कनेक्टिविटी का अभाव:**
- खंडित आवासों में पृथक बाघों की आबादी को आनुवंशिक बाधाओं और कम आनुवंशिक विविधता का सामना करना पड़ता है।
- आनुवंशिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और बाघों को क्षेत्रों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देने के लिए इन आबादी को जोड़ने के लिए गलियारे स्थापित करना महत्वपूर्ण है।
- **जलवायु परिवर्तन प्रभाव:**
- बदलती जलवायु परिस्थितियाँ बाघों के आवास और शिकार की उपलब्धता को बदल सकती हैं, जिससे उनके अस्तित्व पर असर पड़ सकता है।
- प्रोजेक्ट टाइगर को इन परिवर्तनों के अनुकूल होने और बाघों और उनके पारिस्थितिक तंत्र के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए जलवायु लचीलापन रणनीतियों को शामिल करना चाहिए।
- **सीमित सामुदायिक भागीदारी:**
- संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। हालाँकि, सीमित सामुदायिक भागीदारी और बाघ अभयारण्यों से होने वाले लाभों के कारण संरक्षण पहल के लिए प्रतिरोध और समर्थन की कमी हो सकती है।

- **संरक्षण और विकास के बीच संघर्ष:**
- बांधों या सड़कों जैसी विकास परियोजनाओं के साथ संरक्षण लक्ष्यों को संतुलित करने से संघर्ष हो सकता है।
- मानवीय आवश्यकताओं और पर्यावरण संरक्षण दोनों को ध्यान में रखते हुए सतत विकास सुनिश्चित करना एक नाजुक कार्य है।
- **भारत की वन क्षमता बाघों के समर्थन की सीमा तक पहुँचने के बारे में क्या चिंताएँ हैं?**
- **संरक्षित क्षेत्रों के बाहर घूमना:**
- बाघों की लगभग 30% आबादी संरक्षित क्षेत्रों के बाहर घूमती है और नियमित रूप से मानव बस्तियों में प्रवेश करती है, जिससे मानव-बाघ संघर्ष होता है।
- **सिकुड़ते टाइगर कॉरिडोर:**
- रेलवे लाइनों, राजमार्गों और नहरों जैसे रैखिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के परिणामस्वरूप बाघ गलियारे सिकुड़ गए हैं, जो दो बड़े वन क्षेत्रों को जोड़ने वाले आवश्यक पैच हैं।
- **मानव-प्रधान परिदृश्यों में प्रवेश:**
- माना जाता है कि बाघ शाकाहारी जीवों की तलाश में जंगलों को छोड़ देते हैं जो तेजी से मानव-प्रधान परिदृश्यों में प्रवेश करते हैं।
- यह व्यवहार लैंटाना जैसी आक्रामक प्रजातियों द्वारा प्राकृतिक वनस्पतियों के अधिग्रहण से प्रेरित है, जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है और शाकाहारी लोगों को मनुष्यों के निवास वाले क्षेत्रों में भोजन की तलाश करने के लिए मजबूर करता है।
- **वहन क्षमता:**
- बाघों की बढ़ती आबादी के साथ, यह सवाल उठता है कि क्या भारत के जंगल इन शीर्ष शिकारियों को बनाए रखने की क्षमता के करीब हैं।
- **असमान जनसंख्या वितरण:**
- जबकि भारत में 75,000 वर्ग किमी में फैले 53 बाघ अभ्यारण्य हैं, केवल 20 अभ्यारण्य बाघ संरक्षण के लिए एक तिहाई क्षेत्र को कवर करते हैं, जिससे असमान जनसंख्या वितरण होता है।
- **मानव-बाघ संघर्ष:**
- उभरते संघर्षों को दयालु लेकिन अवैज्ञानिक समाधानों के माध्यम से संबोधित किया गया है, जैसे अक्षम जंगली बाघों को खाना खिलाना और बचाना, बाघों के आवासों को कृत्रिम रूप से समृद्ध करना, और "समस्याग्रस्त" बाघों को स्थानांतरित करना।
- **भारत में बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के प्रयास क्या हैं?**
- **प्रोजेक्ट लायन:**

- गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई शेर के संरक्षण के लिए, प्रोजेक्ट लायन लॉन्च किया गया था, जो मुख्य रूप से गुजरात में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान पर केंद्रित था।
- यह पहल आवास प्रबंधन, वैज्ञानिक अनुसंधान, अवैध शिकार विरोधी उपायों और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देती है। इसका उद्देश्य एशियाई शेरों की एक स्थायी और बढ़ती आबादी सुनिश्चित करना है।
- **प्रोजेक्ट तेंदुआ:**
- तेंदुओं के व्यापक वितरण और उनकी अनुकूलनीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रोजेक्ट तेंदुआ इन मायावी शिकारियों के अध्ययन और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इसमें तेंदुओं की आबादी की निगरानी करना, मानव-तेंदुआ संघर्ष को कम करना और संरक्षित क्षेत्रों और गलियारों के मिश्रण के माध्यम से उनके आवासों को संरक्षित करना शामिल है।
- **हिम तेंदुआ संरक्षण:**
- भारत के हिमालयी परिदृश्य मायावी हिम तेंदुए का घर हैं। संरक्षण प्रयासों में आवास संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता, अनुसंधान और अवैध शिकार विरोधी उपाय शामिल हैं।
- पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग से इस उच्च ऊंचाई वाले शिकारी को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।
- **चीता पुनरुत्पादन परियोजना:**
- भारत ने विलुप्त प्रजाति चीता को उसके मूल निवास स्थान में पुनः स्थापित कर दिया है। इस पहल में उपयुक्त क्षेत्रों का चयन करना, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और व्यवहार्य चीता आबादी को फिर से स्थापित करने और बनाए रखने में संभावित चुनौतियों का समाधान करना शामिल है।
- **विधान और नीति ढांचा:**
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की तरह, बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए कानूनी आधार प्रदान करते हैं। ये कानून शिकार, अवैध शिकार और वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्न पदार्थों के व्यापार को नियंत्रित करते हैं।
- **आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?**
- **पर्यावास संरक्षण और बहाली को मजबूत बनाना:**
- जनसंख्या वृद्धि और आनुवंशिक विविधता के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करते हुए महत्वपूर्ण बाघ आवासों की पहचान करें और उन्हें आगे के अतिक्रमण से बचाएं।
- लचीला और परस्पर जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए पुनर्वनीकरण और आक्रामक प्रजातियों को हटाने सहित आवास बहाली प्रयासों में निवेश करें।
- **अवैध शिकार विरोधी उपायों को बढ़ाना:**

- अवैध शिकार और वन्यजीव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आधुनिक तकनीक, खुफिया नेटवर्क और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों के माध्यम से कानून प्रवर्तन को मजबूत करना।
- अपराधियों के लिए कड़े दंड लागू करें और अवैध वन्यजीव व्यापार नेटवर्क को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर काम करें।
- **सतत मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना:**
- समुदाय-आधारित संरक्षण मॉडल विकसित और कार्यान्वित करें जो स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करें, वैकल्पिक आजीविका प्रदान करें और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करें।
- मानव-बाघ संघर्ष को कम करने और मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों को नियोजित करें।
- **जलवायु-लचीली रणनीतियों को एकीकृत करना:**
- बाघों के आवास और शिकार की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए बाघ अभयारण्यों के भीतर जलवायु अनुकूलन योजनाएं विकसित करें।
- बफर जोन स्थापित करें जो चरम मौसम की घटनाओं के दौरान वन्यजीवों के लिए शरणस्थली के रूप में काम कर सकें।
- **वहन क्षमता संबंधी चिंताओं का समाधान:**
- भारत के जंगलों की वहन क्षमता का आकलन करने के लिए व्यापक अध्ययन करें और यह सुनिश्चित करें कि बाघों की वर्तमान और भविष्य की आबादी टिकाऊ बनी रहे।
- आनुवंशिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने और बाघों को पनपने में सक्षम बनाने के लिए बाघ गलियारों के निर्माण और बहाली को प्राथमिकता दें।